UPLK010070342022

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।
सेशन्स केस सं0 883/2022

सरकार **बनाम** मधु सिंह

अ0सं0 384/2021
धारा–323,342,504,506 भा0द0सं0 तथा
धारा 3(2)5ए एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
थाना–चिनहट, लखनऊ।

20–09–2024

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्ता मधु सिंह मय अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं।

न्यायालय के समक्ष विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने संक्षेप में उस साक्ष्य का कथन किया, जो दौरान विचारण अभियुक्ता के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाना है।

अभियोजन एवं अभियुक्ता के अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरान्त मैं इस मत का हूँ कि अभियुक्ता के विरुद्ध धारा 323, 504, 506, 452 भा0द0सं0 तथा धारा 3(2)va एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट के अधीन आरोप विरचित किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। तद्नुसार अभियुक्ता के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। अभियुक्ता ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

पत्रावली तदैव साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 02.12.2024 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट),
लखनऊ।

UPLK010070342022

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0—एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

सेशन्स केस सं0 883/2022

सरकार **बनाम** मधु सिंह

अ0सं0 384/2021
धारा—323,342,504,506 भा0द0सं0 तथा
धारा 3(2)5ए एस0सी0—एस0टी0 ऐक्ट,
थाना—चिनहट, लखनऊ।

आरोप

मैं, दिनेश कुमार मिश्र, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0—एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्द्वारा आप अभियुक्ता मधु सिंह को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँः—

प्रथमः यह कि दिनांक 29—05—2021 को अदम तहरीर थाना चिनहट जिला लखनऊ सीमान्तर्गत यमुना बिहार में आप अभियुक्ता मधु सिंह ने वादिनी मुकदमा मंजरी वर्मा को सदोष रूप से परिरोध में रखने का अपराध कारित किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भा0द0सं0 की धारा—342 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्ता मधु सिंह ने वादिनी मुकदमा मंजरी वर्मा को मारपीट कर साधारण उपहति कारित की। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्ता मधु सिंह ने वादिनी मुकदमा मंजरी वर्मा को भद्दी—भद्दी गालियां देकर साशय प्रकोपित किया कि वह लोकशान्ति भंग करें। इस प्रकार आप ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थः यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्ता मधु सिंह ने वादिनी मुकदमा मंजरी वर्मा को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

पंचमःयह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्ता मधु सिंह ने अनुसूचित जाति की वादिनी मुकदमा मंजरी वर्मा के प्रति उपरोक्त आपराधिक कृत्य कारित किया। इस प्रकार आप ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम धारा–3(2)va के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(दिनेश कुमार मिश्र)
दिनांकः 20–09–2024 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6085

अभियुक्ता को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्ता ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

(दिनेश कुमार मिश्र)
दिनांकः 20–09–2024 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6085